HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11559/2026
CNR: RJHC020694302026 | URN: CRLMB / 21329U / 2026

Hakam Alias Bahra S/o Sh. Umar Mohammad, R/o Berla, Police Thana Tijara, District Alwar. (At Present Confine In District Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinit Dixit with Mr. Sunil Kuma Chechi
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **रैणी जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **105/2021** अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में **जमानत** का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है, उसे मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 07.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उसे केवल सहअभियुक्त के कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। सहअभियुक्तगण सलामुद्दीन एवं मुब्बू उर्फ मुब्बा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अपराधों का आरोप है। कुल 23 गौवंश उनके द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसमें 9 बछड़े व 6 गायें मृत पाए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने अनुसंधान में सहयोग नही ंकिया है। उसे फरार घोषित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अपराधों का आरोप है। वह दिनांक 07.07.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। सहअभियुक्तगण सलामुद्दीन एवं मुब्बा को समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हाकम उर्फ बहरा पुत्र उमर मौहम्मद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

44/AJAY KUMAR SINGHAL